प्रेस नोट दिनाँक 04.11.2024

थाना कन्दवा जनपद चंदौली

थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा उ0प्र0 से बिहार अवैध शराब तस्कर करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार व अभियुक्त के कब्जे से 240 पाउच 8pm अवैध अंग्रेजी शराब (मात्रा 43.2 लीटर) बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्दवा हरिनारायण पटेल के नेतृत्व में कन्दवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम बकौड़ी नहर पुलिया के पास एक अभियुक्त के कब्जे से कुल 240 पाउच 8pm अंग्रेजी शराब (मात्रा 43.2 लीटर) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-53/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 03.11.2024 को उ.नि. दिनेश कुमार मिश्र मय हमराह क्षेत्र चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम बकौड़ी नहर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे कि तभी कन्दवा की तरफ नहर पटरी से आ रही मोटर साइकिल (बिना नम्बर) को रोका गया तो मोटरसाइकिल पर एक सफेद हरे रंग की प्लास्टिक की बोरी बंधी थी। पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल व व्यक्ति को उठाया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान साहब कुमार पुत्र राम चन्द्रराम ग्राम ललेदहा थाना रामगढ़ जिला कैमूर (भभुआ) बिहार के रुप में हुई। पुलिस टीम द्वारा प्लास्टिक की बोरी को चेक किया गया तो 240 पाउच 8PM अंग्रेजी शराब प्रत्येक पाउच 180 मि0ली0 की बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त शराब को चन्दौली जिले के भिन्न भिन्न दुकानों से खरीदकर इकट्ठा करके बिहार में ऊंचे दाम में विक्रय कर लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- साहब कुमार पुत्र रामचन्द्र राम ग्राम ललेदहा थाना रामगढ़ जिला कैमूर (भभुआ) बिहार

आपराधिक इतिहास-1.मु0अ0सं0- 53/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 89/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

बरामदगी- 240 पाउच अवैध अंग्रेजी 8pm शराब (43.2 लीटर) शराब बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 दिनेश थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.का0 सविनय सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3.का0 दिलीप कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा, जनपद-चन्दौली, दिनांक 04.11.2024

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप से प्रतिबंधित 03 गोवंशों को परिवहन करने के दौरान किया बरामद.

◆परिवहन में सम्मिलित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, वाराणसी से बिहार राज्य परिवहन किये जा रहे थे गोवंश.

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.11.2024 को मुकेश तिवारी, थानाप्रभारी सैयदराजा की पुलिस टीम द्वारा की टीम के उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में गोवंशो को क्रूरता पुर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल परिवहन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर उ.नि. दिनेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा एनएच 02 हाईवे पर नौबतपुर पुलिया यार्ड से पहले मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से कुल 03 गोवंश (गाय) की बरामदगी करते हुए मौके से कुल दो शातिर गौ तस्करो को मौके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अभिषेक भारती पुत्र बडेलाल, निवासी- बन्देपुर, बच्छांव, थाना रोहनिया, वाराणसी व सुरेश कुमार पुत्र सिद्धनाथ निवासी- बन्देपुर, बच्छांव, थाना रोहनिया, वाराणसी के रूप में हुयी।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 192/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत किया गया ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि भीखारीपुर वाराणसी के सुनील यादव द्वारा BLW वाराणसी से तीन गायों को बिहार ले जाकर वध कर बिक्री करने हेतु परिवहन कराया गया था।

पंजीकृत अभियोग:-

192/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय थाना सैयदराजा चन्दौली।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.अभिषेक भारती पुत्र बडेलाल निवासी बन्देपुर बच्छांव थाना रोहनिया जिला वाराणसी

2.सुरेश कुमार पुत्र सिद्धनाथ निवासी बन्देपुर बच्छांव थाना रोहनिया जिला वाराणसी

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय:-

एनएच 02 हाईवे नौबतरपुर यार्ड से पहले मंदिर के पास से समय करीब 23.50 बजे

बरामदगी का विवरणः-

1. एक पिकअप UP65HT6403
2. दो मोबाइल व 3420 नगदी रुपया
3. 03 गोवंश (गाय)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उप निरीक्षक- दिनेश कुमार सिंह चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. का. रविशंकर गुप्ता थाना सैयदराजा चन्दौली ।
4. का. विष्णु दत्त प्रजापति थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

थाना बलुआ जनपद चन्दौली, दिनांक-04.11.2024

◆हरियाणा से बिहार राज्य के लिए तस्करी की जा रही 12 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 02 शराब तस्कर गिरफ्तार

◆190 पेटी में कुल लगभग 1700/- लीटर हरियाणा निर्मित अवैध अग्रेजी शराब बरामद, एक DCM ट्रक में लाद कर की जा रही थी तस्करी

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी बलुआ डा. आशीष कुमार मिश्र व एसओजी टीम द्वारा एक डीसीएम से कुल 190 पेटी में 1700 लीटर अवैध अग्रेजी शराब आफिसर्स च्वाइस ब्राण्ड, हरियाणा निर्मित बरामद करते हुए 02 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

चन्दौली:-

दिनांक 04.11.2024 को थानाप्रभारी बलुआ डा. आशिष कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम के उ.नि.तरुण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मजिहदां पुलिया पर चेकिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक डीसीएम गाड़ी जो कि गाजीपुर-सैदपुर पुल के रास्ते आ रही है जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी है। जो चन्दौली के रास्ते बिहार जाने वाली है।

इस सूचना पर मजिदहां पुलिया पर थाना बलुआ व जनपदीय एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद एक डीसीएम सामने से आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा सामने से आ रहे वाहन को रुकने का इशारा करने पर वाहन चालक व सहचालक वाहन खड़ा करके भागने लगे। जिसपर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके दोनों अभियुक्तों को समय-02:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान 1. राजेन्द्र राय पुत्र स्व दशही राय निवासी ग्राम नगवा थाना भगवानपुर द्वारा जिला सिवान (बिहार) उम्र 48 वर्ष व 2.शैलेन्द सिंह पुत्र रघुवीरसिंह निवासी ग्राम पुणरी पोस्ट पुणरी थाना नवाबगंज जिला फरुर्खाबाद उ.प्र. उम्र 43 वर्ष के रूप में हुयी।

दोनों अभियुक्तों नें संयुक्त रूप से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि गाडी में शराब लदी है जिसको हम लोग हरियाणा के सूरजकुण्ड से लादकर ले आ रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से डीसीएम वाहन BR28GA6680 से कुल 190 पेटी में लगभग 1700 लीटर आफिसर्स च्वाइस ब्राण्ड की हरियाणा निर्मित अवैध अग्रेजी शराब बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियाम पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 211/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बलुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.राजेन्द्र राय पुत्र स्व० दशही राय निवासी ग्राम नगवा थाना भगवानपुर द्वारा जिला सिवान, बिहार, उम्र 48 वर्ष

2.शैलेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह निवासी ग्राम पुणरी पोस्ट पुणरी थाना नवाबगंज जिला फरुर्खाबाद उ0प्र0 उम्र 43 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0. 211/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बलुआ जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी

1.एक डीसीएस वाहन BR28GA6680

2.कुल 190 पेटी आफिसर्स च्वाइस अंग्रेजी शराब,40 पेटी (750ML), 160 पेटी (375ML) व 44 पेटी (182ML)

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना बलुआ एसओजी/सर्विलांस टीम चन्दौली

1.डा0 आशीष कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 तरुण पाण्डेय चौ0प्र0 मारुफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 पारसनाथ यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.हे0का0 पवन कुमार बिन्द थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6.हे0का0 शिवराज मैर्या थाना बलुआ जनपद चन्दौली

7.का0 सुग्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली

8.का0 शिशिर यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

9.का0 रामजी पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली

1.उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी एसओजी टीम/सर्विलांस सेल

2.हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह

3.हे0का0 अरविन्द भारद्वाज

4.हे0का0 राणा प्रताप सिंह

5.हे0का0 आनन्द सिंह

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

🔰 चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को अवैध 8.090 किलो गाँजा के साथ किया गया गिरफ्तार

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार, विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से कुल 08.090 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद करते हुए 01 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 266/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह बिहार से बैग में गांजा भरकर 3000/ रुपये किलो खरीदकर लाता है। चन्दौली व वाराणसी में अलग-अलग जगहो पर पहुँचकर 15000/ कि0ग्रा0 बेचकर चला जाता है।

नाम पता अभियुक्तगण-

सन्तोष कुमार पुत्र रविन्दर सिह निवासी गुलराही थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उ0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक विवरण –

मु.अ.स. 266/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी –

08.090 किलो गाँजा।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ.नि. दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली

का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली।

का. इन्द्रजीत यादव थाना व जिला चन्दौली।

यातायात पुलिस चंदौली

◈यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1299 वाहनों का चालान करते हुए 18,79,300/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◈यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◈यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1299 वाहनों का चालान करते हुए 18,79,300/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।*

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-773

2.नो पार्किंग- 133

3.तीन सवारी- 89

4.सीट बेल्ट- 33

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना- 22

6.यातायात नियमों का उल्लंघन- 15

7.गलत नंबर प्लेट-55

8.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना- 74

9.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना- 11

10.परमिट शर्तो का उल्लंघन करना-07

11.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-05

12.काली फिल्म-07

13.ओवर स्पीड-21

14.ध्वनि प्रदूषण-34

15.बेवजह हार्न बजाना-11

16.वायु प्रदुषण-01

17.क्षमता से अधिक सवारी बैठाना-02

18.बिना फिटनेस के वाहन चलाना-04

19.सीज-02

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 04.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-1299

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-18,79,300/-₹ (अठ्ठारह लाख उन्यासी हजार तीन सौ)

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 पिकअप में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 07 राशि गोवंशों की बरामदगी के साथ 05 शातिर गो-तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 3 पिकअप में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 07 गोवंश बरामदगी के साथ 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 299/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-आज दिनांक 04.11.2024 को उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चेकिंग एवं गोतस्करी के रोकथाम हेतु हाइवे पर गस्त के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दिया कि अज्ञात वाहन से गोवंशो को ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सिंधीताली ओवरब्रिज पर वाराणसी की तरफ से आने वाली वाहनों की चेकिंग के दौरान बैरियर से कुछ दुर पहले हि पुलिस टीम को देखकर तीनो पिकअप वाहन चालको द्वारा वाहन को मोडकर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर सभी पिकअप वाहन चालको व उसमें बैठे खलाशी को पकड लिया गया। पकड़े गए वाहन व गो-तस्करों की पहचान-

1. वाहन सं. RJ31GB3091 महिन्दा पिकअप के चालक की पहचान सुखविन्दर सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह नि. मल्लडखेडा थाना टीबी जिला हनुमानगढ उम्र 25 वर्ष व रजत पुत्र विनोद नि. मल्लडखेडा थाना टीबी जिला हनुमानगढ राजस्थान के रुप में हुआ। पिकअप वाहन से 02 राशि गोवंश बरामद हुआ।

2.वाहन सं. PB29R6247 के चालक की पहचान पवनदीपपुरी पुत्र गुरुचरणपुरी नि. ग्राम पथरावा थाना संगतमण्डी जिला बठिंडा पंजाब उम्र 34 वर्ष के रुप में हुआ। वाहन से 02 राशि गोवंश व 01 राशि बछिया बरामद हुआ।

3.पिकअप वाहन सं. HR73 7411 के चालक की पहचान थानेदार सिंह पुत्र सरबजीत सिंह नि. ग्राम चटाला थाना मण्डी डब्बेवाली जिला सरसा हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष व विक्की सिंह पुत्र अजैब सिंह नि. ग्राम मालारामपुरा थाना सकरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान के रुप में हुआ। उपरोक्त वाहन से 02 राशि गोवंश

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि गाडी मालिक के कहने पर गाय लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाते है। जिला हनुमानगढ थाना टीबी द्वारा हनुमानगढ के पास एक जगह जानवरो को एकत्रित करते है जहाँ से हम लोग पिकअप वाहन मे लादकर चन्दौली बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इस धन्धे में हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है। चालकों ने यह भी बताया कि गाडियो मे दो से अधिक गौवंश को लादने पर रास्ते में पुलिस के पकडने का डर रहता है।

पंजीकृत अभियोग –

1.299/2024 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली विरुद्ध पाँचो अभियुक्तगण

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.वाहन संख्या RJ31GB3091 1. सुखविन्दर सिंह पुत्र पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी मल्लड़खेड़ा थाना टीबी जिला हनुमानगढ़ उम्र 25 वर्ष तथा खलासी 2. रजत पुत्र विनोद निवासी मल्लड़खेला थाना टीबी जिला हनुमानगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया।

2.वाहन संख्या PB29R6247 से चालक 1. पवनदीप पुत्र गुरुचरणपुरी निवासी ग्राम पथरावा थाना संगतमंडी जिला भटिंडा पंजाब उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

3.वाहन संख्या HR737411 से चालक 1. थानेदार सिंह पुत्र सरबजीत सिंह निवासी ग्राम चटाला थाना मंडी डब्बोवाली जिला सरसा हरियाणा व खलासी 2. विक्की सिंह पुत्र अजैब सिंह निवासी ग्राम मालारामपुरा थाना सकरियाँ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया

विवरण बरामदगी-

1.03 पिकअप वाहन संख्या RJ31GB3091, वाहन संख्या PB29R6247 व वाहन संख्या HR737411

2.कुल 06 राशि गाय व 01 राशि बछिया बरामद

3.5300/- रुपये नगद

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.हे0का0 प्रेम सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 बूटा सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

6.का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

7.का0 अनन्त कुमार सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली